न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
09 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	14.05.2012	24.10.2024

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर जवाहर बाजार बडा कुआ टोंक जिला टोंक राज0।
2–श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल प्रो0 मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर जवाहर बाजार बडा कुआ टोंक निवासी वार्ड नं. 15 रघुनाथपुरी बडा कुआ टोंक।
3–मैसर्स सन्तोष टी कम्पनी ए–2 टीचर्स कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर राज0।
4–श्री रामचरण विजय पार्टनर मेसर्स सन्तोष टी कम्पनी ए–2 टीचर्स कालोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर राज0 निवासी ए–2 टीचर्स कालोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर राज0

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 व 2 श्री गजेन्द्र शर्मा व अप्रार्थी सं0 3 व 4 श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 24.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 07.10.2011 को समय 04:05 पीएम पर मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर जवाहर बाजार बडा कुआ टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रता के हैसियत से श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर जवाहर बाजार बडा कुआ टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल ने स्वयं को जय अम्बे किराना स्टोर का विक्रता एवं मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** 250–250 ग्राम के 24 पोली पैक पैकेट रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री महेश कुमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोयल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, दुकान में से 250–250 ग्राम के 8 पोली पेक **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** ज्यो का त्यों (कुल 2 किलोग्राम) चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** को साफ सूखे चौकोर प्लास्टिक डिब्बों में रखकर 250–250 ग्राम के 2–2 पॉली पैक के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाय प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एव क्रमांक आई–131 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–131 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बाध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विशलेषक खा0सु0मा0 प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने मैसर्स जय अम्बे किराना स्टोर के एफ.बी.ओ. श्री महेश कुमार गोयल पुत्र श्री सोहन लाल गोयल से नमूना जॉच हेतु क्रय करते समय चाय महालक्ष्मी का वारन्टी बिल मांगा तो श्री महेश कुमार गोयल द्वारा मैसर्स सन्तोष टी कम्पनी ए–2 टीचर्स कॉलोनी डीसीएम अजमेर रोड जयपुर का बिल प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/11/4073 दिनांक 25.11.2011 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0 13/एफएसएसए/2011 /14 दिनांक 20.10.2011 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त चाय में कोई बाह्य पद्रार्थ नहीं मिलाया गया है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** का विकय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **चाय महालक्ष्मी पोली पैक** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा वारन्टी बिल के साथ अप्रार्थी सं0 3 व 4 से उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किया गया हैं। अतः उक्त खाद्य पदार्थ के अवमानक स्तर का होने की समस्त जिम्मेदारी निर्मात फर्म अप्राथी सं0 3 व 4 की है। अतः अप्रार्थी सं0 1 व 2 को दोष मुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सांकरिया)
न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0